न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस)

वाद संख्या :– 01/118/2017 ऑनलाईन नम्बर–2016/00825 प्रवेश तिथि 27.06.2016

1. रामजीलाल पुत्र शिवसहाय जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम चितोस तहसील राजगढ जिला अलवर।

.....वादी

बनाम

1. जगदीश दत्तक पुत्र बोदन जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम चितोस तहसील राजगढ जिला अलवर।
   1/1. रामबाबू पुत्र जगदीश
   1/2. श्रीकृष्ण पुत्र जगदीश।
   1/3. सन्तोष उर्फ सुरेन्द्र पुत्र जगदीश।
   1/4. सरोज पुत्री जगदीश जातियान ब्राहाम्ण निवासीयान चितोस तहसील राजगढ जिला अलवर।
2. सब रजिस्ट्रर साहब राजगढ जिला अलवर।
3. कमलेश पुत्र कल्याण सहाय जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम चितोस तहसील राजगढ जिला अलवर। (हजफ)
4. बिमला देवी बेवा कल्याण सहाय जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम चितोस तहसील राजगढ जिला अलवर। (हजफ)

.....प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक्क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा –88,188
उपस्थितः–श्री धर्मेन्द्र सिंह जैसावत एड0–वादी

–:निर्णयः–

दिनांक 02.01.2025

1. आज यह पत्रावली अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा एक दावा इस्तकरारहक्क अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 100/0.75, 103/0.30, 129/0.11, 130/0.38, 144/0.49, 145/0.41, 230/0.27, 97/0.26 कुल किता 8 कुल रकबा 2.97 है0 वाके ग्राम चितोस तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। जिसमें वादी 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्से के प्रतिवादी संख्या 3 व 4 और इसी अनुसार काबिज रहकर काश्तकार करते चले आ रहे है। जिसका सजरा निम्नानुसार है–

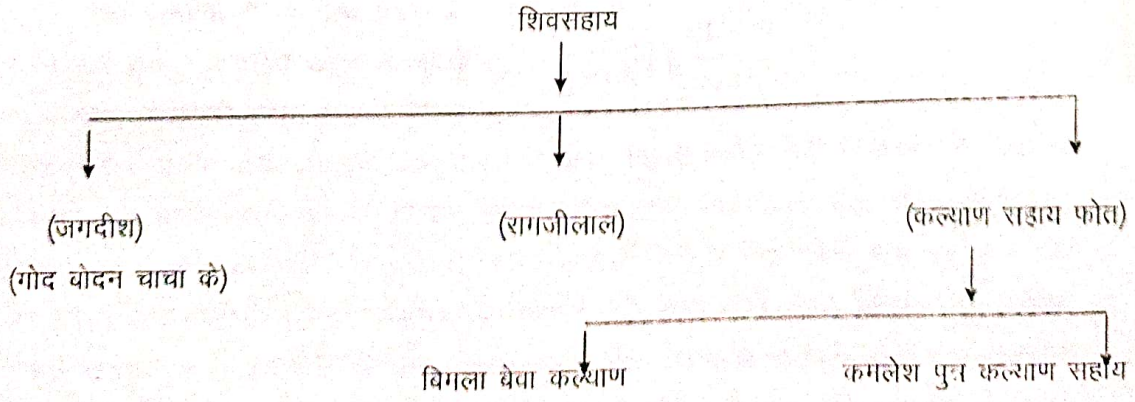

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

R. C. M. S. Reg. No. :-2016/00825
Manual No.:-01/118/2017

2. फकीरेन एक ही परीवार के लोग है। जिस पर जगदीश अपने चाचा बोदन के गोद चला गया। जिसकी विरासत बोदन के हिस्से की आराजी पर उसके नाम खुल चुकी है। ओर उसके प्राकृतिक पिता से सभी सम्बन्ध वो अधिकार बोदन के गोद जाते ही समाप्त हो गये इसलिए कानूनन उसको अपने पिता की आराजी पर किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध वो वास्ता नही है। प्रतिवादी संख्या 01 जगदीश अपने चाचा की आराजियात पर बतौर दत्तक पुत्र रिकार्ड में अमल करा लिया और चालाकी से अपने पिता की आराजी का 1/3 हिस्सा का भी अमल करा लिया जबकि कानूनन उसको अपने पिता की आराजीयात पर किसी भी प्रकार का सम्बन्ध वो वास्ता जब गोद जाते ही नही रहा तो कानूनन उसे खातेदारी अधिकार भी आराजी पर नही मिल सकते। ऐसा इन्द्राज केवल नुमाईशी है जिसे किसी भी प्रकार का हक वो अधिकार नही मिल सकता है। प्रतिवादी नम्बर 1 जगदीश ने कुछ आराजीयात खसरा नम्बर 357, 385, 387, 386 वाके ग्राम चितौरा को गलत तरीके से बेचान भी कर दिया है। और आगे भी गलत इन्द्राज की आड में बेचान करने कर उतारू है। जबकि उसको ऐसा कोई अधिकार नही है। इस गलत इन्द्राज की आड में प्रतिवादी संख्या 01 जगदीश विवादित आराजीयात को जरिये रहन वगै आदि द्वारा मुन्तिकिल करना चाहता है। व वादी को 1/2 हिस्से से जबरन बेदखल करके कब्जा करना चाहता है व कार्य काश्त में मजाहमत पैदा करना चाहते है। इसलिए विरूद्व प्रतिवादीगण दावा स्थाई निषेधाज्ञा भी प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ उन्होने ऐसा कर दिया तो वादी को न पूर्ति होने क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नही कराई जा सकेगी। अन्त में आराजी खसरा संख्या 100/0.75, 103/0.30, 129/0.11, 130/0.38, 144/0.49, 145/0.41, 230/0.27, 97/0.26 कुल किता 8 कुल रकबा 2.97 है0 वाके ग्राम चितोस तहसील राजगढ जिला अलवर से प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश का 1/3 हिस्से पर जो रिकार्ड में इन्द्राज है उसे कलमजन/हजफ किया जाकर हटाया जावे व वादी को 1/2 हिस्से का व तर0 प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार असालतान वतकालतान उपस्थित न्यायालय आये। प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/4 बाद सूचना तामील उपस्थित नही हुये जिसके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। वादी वकील के द्वारा प्रतिवादी संख्या 3, 4 का नाम हजफ का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.09.2024 को पेश किया जिसे स्वीकार को किया गया।

4. वादी की ओर साक्ष्य हेतु रामजीलाल पुत्र शिवसहाय, सुरेश चन्द पुत्र मूलचन्द, ललित कुमार पुत्र राधाकिशन का शपथ पत्र पेश किया गया जो शमिल मिशल है। रामजीलाल पुत्र शिवसहाय के बयान लेखबद्व किये गये जो शामिल मिशल है। दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किये गये जिन पर प्रदर्श निम्न प्रकार है–

- नकल जमाबंदी सम्वत 2075 प्रदर्श–1
- नकल जमाबंदी सम्वत 2062 प्रदर्श–2
- हाल जमाबन्दी सम्वत 2069–75 प्रदर्श–3
- नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069 प्रदर्श–4

5. प्रकरण में बहस वकील वादी की सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान वकील वादी ने वादपत्र में तथ्यों को दौहराया मात्र एवं निवेदन किया वर्तमान वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 100/0.75, 103/0.30, 129/0.11, 130/0.38, 144/0.49, 145/0.41, 230/0.27, 97/0.26 कुल किता 8 कुल रकबा 2.97 है0 वाके ग्राम चितोस तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। जिसमें वादी रामजीलाल 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्से के प्रतिवादी संख्या 3 व 4 और इसी अनुसार काबिज रहकर काश्तकार करते चले आ रहे है। फकीरेन एक ही परीवार के लोग है। जिस पर जगदीश अपने चाचा बोदन के गोद चला गया। जिसकी विरासत बोदन के हिस्से की आराजी पर उसके नाम खुल चुकी है। ओर उसके प्राकृतिक पिता से सभी सम्बन्ध वो

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

अधिकार बोदन के गोद जाते ही समाप्त हो गये इसलिए कानूनन उसको अपने पिता की आराजी पर किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध वो वास्ता नही है। प्रतिवादी संख्या 01 जगदीश अपने चाचा की आराजियात पर बतौर दत्तक पुत्र रिकार्ड मे अमल करा लिया और चालाकी से अपने पिता की आराजी का 1/3 हिस्से का भी अमल करा लिया जबकि कानूनन उसको अपने पिता की आराजीयात पर किसी भी प्रकार का सम्बन्ध वो वास्ता जब गोद जाते ही नही रहा तो कानूनन उसे खातेदारी अधिकार भी आराजी पर नही मिल सकते। ऐसा इन्दाज केवल नुमाईशी है जिसे किसी भी प्रकार का हक वो अधिकार नही मिल सकता है। प्रतिवादी नम्बर 1 जगदीश ने कुछ आराजीयात खसरा नम्बर 367, 386, 387, 388 वाके ग्राम चितौस को गलत तरीके से बेचान भी कर दिया है। और आगे भी गलत इन्दाज की आड मे बेचान करने कर उतारू है। जबकि उसको ऐसा कोई अधिकार नही है। इस गलत इन्दाज की आड में प्रतिवादी संख्या 01 जगदीश विवादित आराजीयात को जरिये रहन बय आदि द्वारा मुनासिकिल करना चाहता है। व चाही को 1/2 हिस्से से जबरन बेदखल करके कब्जा करना चाहता है व कार्य काश्त में मजाहमत पैदा करना चाहता है। इसलिए विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा स्थाई निषेधाज्ञा भी प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ उन्होंने ऐसा कर दिया तो वादी को न पूर्ति होने क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नही कराई जा सकेगी। अन्त में आराजी खसरा संख्या 100/0.75, 103/0.30, 129/0.11, 130/0.38, 144/0.49, 145/0.41, 230/0.27, 97/0.25 कुल किता 8 कुल रकबा 2.97 है0 वाके ग्राम चितोस तहसील राजगढ जिला अलवर से प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश का 1/3 हिस्से पर जो रिकार्ड में इन्दाज है उसे कलमजन किया जाकर हटाया जावे व वादी रामजीलाल को 1/2 हिस्से का व तर0 प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

6. बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि शिवसहाय के तीन वारीसान जगदीश, रामजीलाल, कल्याण सहाय, शिवसहाय के वारिसान में से जगदीश अपने चाचा बोदन, के गोद चला गया था। जगदीश को उसके चाचा बोदन के आराजीयात पर बतौर दत्तक पुत्र रिकार्ड में अमल दरामद करा लिया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि गोद जाने वाले व्यक्ति के उसी की सम्पत्ति पर अधिकार होता है जिसके वह गोद गया है। जगदीश अपने चाचा बोदन के गोद जाने के कारण उसके असल पिता शिवसहाय की आराजी/सम्पत्ति पर कोई अधिकार नही है। एक व्यक्ति एक जगह ही अधिकार प्राप्त होते है। इसलिए दावा वादी स्वीकार किया जाना उचीत प्रतीत होता है।

आदेश है कि

दावा वादी इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाता है कि आराजी खसरा संख्या 100/0.75, 103/0.30, 129/0.11, 130/0.38, 144/0.49, 145/0.41, 230/0.27, 97/0.25 कुल किता 8 कुल रकबा 2.97 है0 वाके ग्राम चितौस तहसील राजगढ जिला अलवर में प्रतिवादी संख्या 01 जगदीश के नाम गलत इन्दाज को हजफ किया जाकर वादी रामजीलाल पुत्र शिवसहाय के नाम 1/2 हिस्सा तथा शेष 1/2 हिस्सा तर0 प्रतिवादी 3, 4 कमलेश पुत्र कल्याण सहाय, बिमला देवी बेवा कल्याण सहाय के नाम दर्ज किया जाकर जमाबन्दी इन्दाज को दुरूस्त किया जावे। साथ ही तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। इसी अनुसार पर्चा तिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर वाद पुर्ति जगा लेख भण्डार हो।

(सीमा खेतान आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस)

बाद संख्या :– 01/118/2017 ऑनलाईन नम्बर–2016/00825 प्रवेश तिथि 27.06.2016

1. रामजीलाल पुत्र शिवसहाय जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम चितोस तहसील राजगढ जिला अलवर।

.....वादी

बनाम

1. जगदीश दत्तक पुत्र बोदन जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम चितोस तहसील राजगढ जिला अलवर।
   1/1. रामबाबू पुत्र जगदीश
   1/2. श्रीकृष्ण पुत्र जगदीश।
   1/3. सन्तोष उर्फ सुरेन्द्र पुत्र जगदीश।
   1/4. सरोज पुत्री जगदीश जातियान ब्राहाम्ण निवासीयान चितोस तहसील राजगढ जिला अलवर।
2. सब रजिस्ट्रर साहब राजगढ जिला अलवर।
3. कमलेश पुत्र कल्याण सहाय जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम चितोस तहसील राजगढ जिला अलवर। (हजफ)
4. बिमला देवी बेवा कल्याण सहाय जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम चितोस तहसील राजगढ जिला अलवर। (हजफ)

.....प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक्क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा –88,188
उपस्थितः–श्री धर्मेन्द्र सिंह जैसावत एड0–वादी

–:पर्चा डिक्रीः–

दिनांक 02.01.2025

दावा वादी इस्तकरारहक्क स्वीकार किया जाता है कि आराजी खसरा संख्या 100/0.75, 103/0.30, 129/0.11, 130/0.38, 144/0.49, 145/0.41, 230/0.27, 97/0.25 कुल किता 8 कुल रकबा 2.97 है0 वाके ग्राम चितौस तहसील राजगढ जिला अलवर में प्रतिवादी संख्या 01 जगदीश के नाम गलत इन्द्राज को हजफ किया जाकर वादी रामजीलाल पुत्र शिवसहाय के नाम 1/2 हिस्सा तथा शेष 1/2 हिस्सा तर0 प्रतिवादी 3, 4 कमलेश पुत्र कल्याण सहाय, बिमला देवी बेवा कल्याण सहाय के नाम दर्ज किया जाकर जमाबन्दी इन्द्राज को दुरूस्त किया जावे। साथ ही तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता हैं।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02.01.2025 को तैयार की गई।

(सीमा खेतान आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर